तापमान

भोपाल	24.0°	30.0°
इंदौर	22.0°	26.0°
जबलपुर	25.0°	32.0°
ग्वालियर	25.0°	27.0°
सागर	23.0°	30.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 250, पृष्ठ 12)
श्रावण, कृष्ण नवमी संवत् 2083
शनिवार, 8 अगस्त 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... मुख्यमंत्री बोले- तकनीकी कौशल के साथ ...

व्यापार... शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 78,499 पर बंद

खेल... कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर...

देश-विदेश... सुप्रीम कोर्ट से महुआ मोइत्रा को राहत ...

खास-खबरें

एमएसएमई संशोधन विधेयक पारित

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को विपक्षी दलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर-मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। हंगामे के बीच लोकसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारे लगाए। इस बीच कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त तक अपने सभी सांसदों की सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया।

एफसीआरए विधेयक भारत का आंतरिक मामला

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए कहा है कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका सहित अनेक देशों में भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए कानून और नियम लागू हैं। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सांसद रिंले मूर की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने एफसीआरए संशोधन विधेयक को ईसाइयों के खिलाफ बताया था। सरकार के अनुसार विधेयक पर संसद में निर्धारित प्रक्रिया के तहत चर्चा होगी।

बोफोर्स तोप खरीद प्रकरण समाप्त

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: करीब 40 वर्ष पुराने बोफोर्स तोप खरीद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम लंबित याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही इस मामले का कानूनी अध्याय पूरी तरह समाप्त हो गया। न्यायालय ने वर्ष 2005 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया, जिसमें हिंदुजा बंधुओं और बोफोर्स कंपनी को बरी किया गया था। यह मामला वर्ष 1986 में भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1,437 करोड़ रुपये की होवित्जर तोपों की खरीद से जुड़ा था। वर्ष 1987 में इस सौदे में कथित कमीशन दिए जाने के आरोप सामने आए थे। इसके बाद यह मामला देश के सबसे चर्चित राजनीतिक विवादों में शामिल हो गया था। आरोपों का प्रभाव वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा था।

मुख्यमंत्री विजय की तलाक याचिका वापस

नईदुनिया ब्यूरो, चेंगलपट्टू (तमिलनाडु): तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पत्नी संगीता ने परिवार न्यायालय में दायर तलाक की याचिका वापस ले ली है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर न्यायालय को अपना निर्णय बताया। न्यायालय ने पूछताछ के बाद याचिका स्वीकार करते हुए मामला समाप्त कर दिया।

सीएमएचओ निलंबित, तहसीलदार और पटवारी को नोटिस, दो की वेतनवृद्धि रोकी

मुख्यमंत्री का पहला जन विश्वास लापरवाह अधिकारियों पर गाज

नईदुनिया ब्यूरो, भोपाल/ छिंदवाड़ाः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट से 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' का शुभारंभ करते हुए आमजन की लंबित शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निराकरण में संवेदनशीलता ही सुशासन की पहचान है तथा शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समीक्षा के दौरान जिन मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई, उनमें तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित तहसीलदार और पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने के मामले में पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

शिकायतों के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया

मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत सहायता राशि नहीं मिलने के मामले में चौरई जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा श्रम अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं भू-अभिलेख सुधार के प्रकरण में एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने विभागवार समीक्षा करते हुए राजस्व, नल-जल, ऊर्जा, पुलिस तथा अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक प्रकरण का समय-सीमा में पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ड्रॉप-आउट बच्चों का पुनः विद्यालयों में प्रवेश, शिक्षकों की शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि, प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभागियों से संवाद किया। ब्लूबेरी की खेती, प्राकृतिक खेती, 'नमो ड्रोन दीदी' पहल, चिरौंजी प्रसंस्करण, ग्रामीण होम-स्टे, सीएनजी प्लांट और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की उन्होंने सराहना की। मेधावी छात्राओं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली युवाओं के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा की प्रतिभाएं पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा हैं और सरकार नवाचार, उद्यमिता, खेल तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को जनसेवा के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह कार्यशैली अपनाने का निर्देश देते हुए कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण शिकायत निराकरण ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है।

नए एनडीए सांसदों से मोदी की मुलाकात, एकजुटता पर जोर

- प्रधानमंत्री ने कहा- सभी सहयोगी दलों का सम्मान होगा, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 45 नए लोकसभा सांसदों के साथ नाश्ता बैठक की।

बैठक में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) छोड़कर गठबंधन में शामिल हुए सांसद भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए एक परिवार है और गठबंधन के प्रत्येक सांसद का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने सांसदों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी सहयोगी दलों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है और किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने नए सांसदों को संसद की गरिमा बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च मंच है, जहां सार्थक चर्चा और सुचारु कार्यवाही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए सांसद इतिहास का अध्ययन करें, पूरी तैयारी के साथ सदन में अपनी बात रखें तथा अपने-अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दें। उन्होंने विकास कार्यों के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करने और गरीबों, मजदूरों तथा किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान के लिए कार्य करने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले 20 सांसद तथा उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आए छह सांसद अब संसद में नई व्यवस्था के तहत अलग बैठ रहे हैं। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक जारी रहेगा।

निकाह समाप्त करने का अधिकार केवल कोर्ट को

फतवा के माध्यम से तलाक देना गैरकानूनीः हाईकोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः *मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम निकाह और तलाक से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी धार्मिक संस्था या दारुल इफ्ता द्वारा जारी फतवा तलाक का कानूनी आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि फतवा केवल धार्मिक राय या मार्गदर्शन है, जिससे निकाह स्वतः समाप्त नहीं माना जा सकता। विवाह विच्छेद का निर्णय केवल कानून के अनुसार सक्षम न्यायालय ही कर सकता है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने भोपाल निवासी दंपती से जुड़े मामले में पति की सिविल याचिका खारिज करते हुए पत्नी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि अदालत ने पति को कानून के अनुरूप परिवार न्यायालय में नए सिरे से तलाक की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम पुरुष भी परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं।*

मामले में पति ने दारुल इफ्ता मस्जिद कमेटी, भोपाल से तलाक के संबंध में धार्मिक राय प्राप्त की थी और उसी के आधार पर परिवार न्यायालय से तलाक की घोषणा की मांग की थी। पत्नी ने इस याचिका का विरोध करते हुए प्रारंभिक स्तर पर इसे खारिज करने का आवेदन दिया था, जिसे परिवार न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने फतवे और मामले के रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि उसमें कहीं भी निकाह समाप्त होने की घोषणा नहीं की गई है। फतवे में केवल इस्लामी ग्रंथों के आधार पर धार्मिक मार्गदर्शन दिया गया था। अदालत ने कहा कि धार्मिक संस्था को विवाह विच्छेद की कानूनी घोषणा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। निर्णय में अदालत ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(घ) तथा पूर्व के न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुस्लिम पुरुष भी वैधानिक प्रक्रिया के तहत सीधे परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं।

मोदी से सुखबीर बादल की मुलाकात

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः *शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुलाकात पर तंज कसा, जबकि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी। उल्लेखनीय है कि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन वर्ष 1996 से लगभग 25 वर्षों तक रहा और दोनों दलों ने मिलकर पंजाब में तीन बार सरकार बनाई।*

'अल्फा' की दहशत, 8 को मौत के घाट उतारा

थाईलैंड में नौवीं के छात्र ने घर और स्कूल में की गोलीबारी

बैंकॉक, एजेंसीः *थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के निकट स्थित डेबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल में शुक्रवार को नौवीं कक्षा के एक छात्र 'अल्फा' ने गोलीबारी कर दी। घटना में तीन शिक्षकों और तीन छात्रों सहित छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। हमले के बाद छात्र ने स्वयं को भी गोली मार ली और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इससे पहले उसने अपने घर में दादा-दादी की भी हत्या कर दी थी। इस प्रकार घटना में कुल आठ लोगों की जान गई। पुलिस के अनुसार वारदात में प्रयुक्त 9 एमएम पिस्तौल छात्र के दादा की थी, जो पेशे से शिक्षक थे। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और छात्र जान बचाने के लिए कक्षाओं में छिप गए। बाद में पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी छात्र वीडियो गेम खेलने का शौकीन था। हालांकि अधिकारियों ने अब तक गेमिंग और हमले के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि नहीं की है। स्कूल के एक शिक्षक ने बताया कि छात्र पढ़ाई में अच्छा था और उसने पहले कभी आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया था। पुलिस हमले के कारणों की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार छात्र अपने दादा-दादी के साथ रहता था। घटना के बाद एक बार फिर थाईलैंड में लाइसेंस प्राप्त हथियारों की सुरक्षा, बच्चों की पहुंच और स्कूल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। देश में पहले भी गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।*

युवक की मौत के बाद भीड़ ने ट्रैफिक पुलिस चौकी फूंकी

नईदुनिया ब्यूरो, पटनाः पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित जीरो माइल के पास शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद व्यापक बवाल हो गया। तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 26 वर्षीय मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी और विरोध प्रदर्शन के दौरान दो पुलिस वाहनों, बसों तथा मोटरसाइकिलों समेत करीब 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने ट्रैफिक पुलिस चौकी में भी आग लगा दी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पहुंची अग्निशमन दल की टीम को भी भीड़ ने रोक दिया। हालात बिगड़ने पर नौ थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर यातायात व्यवस्था बहाल कराई। प्रशासन अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर रहा है। पुलिस ने कहा कि हिंसा में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक मनीष फ्लेक्स बनाने का कार्य करता था और प्रतिदिन अपने गांव से पटना काम के लिए आता-जाता था।

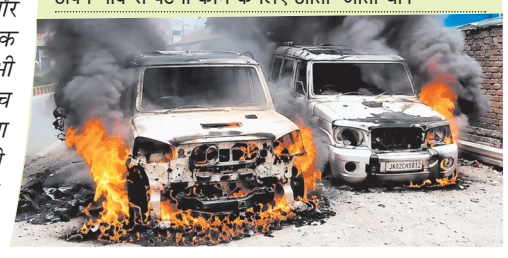

बैलिस्टिक मिसाइल-ड्रोन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की तैयारी, होर्मुज संकट पर भी बढ़ी चिंता

हूती विद्रोहियों का यमन और सऊदी में हमला, 58 की मौत

सना/रियाद, एजेंसीः ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को यमन और सऊदी अरब में एक साथ बड़े हमले किए। यमन में सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमलों में 58 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमलों का उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। दूसरा हमला सऊदी अरब के नजरान क्षेत्र में हुआ, जिसमें 11 नागरिक घायल हुए। घायलों में सात सऊदी नागरिक, एक यमनी, दो मिस्री और एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। घायलों में चार वर्ष का एक बच्चा भी है। हमलों के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई और राहत एवं बचाव दल को मौके पर तैनात किया गया। इस बीच क्षेत्रीय हालात को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी सामने आए हैं। समाचार एजेंसी की होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की दिशा में बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बताया गया है कि मसौदे पर ईरान और ओमान के बीच भी चर्चा जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान ने स्वयं वार्ता की पहल की है और दोनों देशों के बीच बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है। उनका कहना है कि संभावित समझौता ईरान के हित में होगा। समुद्री निगरानी आंकड़ों के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब मार्ग से जहाजों की आवाजाही में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वहीं, दुनिया के आठ प्रमुख शिपिंग संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन से अपील की है कि होर्मुज मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर किसी प्रकार का टोल या सेवा शुल्क लागू नहीं किया जाए, क्योंकि इससे वैश्विक शिपिंग लागत और महंगाई बढ़ सकती है। उधर, दक्षिणी लेबनान में एक विस्फोट में दो इजराइली सैनिकों की मौत और चार अन्य के घायल होने के बाद इजराइल ने कई क्षेत्रों में हवाई हमले किए हैं।

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं

- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- यह सिद्धांत केवल ओबीसी और एसईबीसी आरक्षण पर लागू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं का विरोध किया है, जिनमें एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने तथा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अधिक न्यायसंगत आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाओं में संविधान के तहत किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्तमान कानूनी व्यवस्था में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके तहत क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी और एसटी वर्ग पर लागू किया जा सके। यह अवधारणा केवल ओबीसी और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के आरक्षण से संबंधित है।

सख्ती *रहवासी इलाकों में कमर्शियल इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त...*

राजधानी के एक लाख मकानों पर कार्रवाई की तलवार!

मोहम्मद सादिक खान

रहवासी इलाकों में घरों और प्लॉटों का नियम विरुद्ध व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला और शहर के दूसरे इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे भोपाल तक पहुंच गया है। नगर निगम अगले तीन सप्ताह में शहर की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक सर्वे कराने जा रहा है। निगम के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक नियमों के विपरीत निर्माण या आवासीय भवनों में कमर्शियल गतिविधियां मिलने पर करीब एक लाख मकान मालिकों को नोटिस जारी किए जाने की स्थिति बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद नगर निगम ने फिलहाल अरेरा कॉलोनी और बावड़िया कला में कार्रवाई के दौरान सील किए गए उन 101 शोरूम-दुकानों को दोबारा बंद नहीं करने का फैसला किया है, जिनके ताले बाद में खुल गए थे। निगम का फोकस अब एक-दो क्षेत्रों तक सीमित कार्रवाई के बजाय पूरे शहर की वास्तविक स्थिति सामने लाने पर है। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर एवं कॉलोनी सेल प्रभारी भुवन गुप्ता ने बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट में करीब एक हजार प्रॉपर्टी का सर्वे प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना है। अब पूरे शहर का सर्वे कराया जाएगा और इसकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। **(विस्तृत समाचार पेज 2 पर)**

तीन तरह के निर्माण निशाने पर

नगर निगम सर्वे के दौरान भवनों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में जांचेगा। पहली श्रेणी में वे भवन होंगे जो आवासीय स्वीकृत हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, अस्पताल, कोचिंग या अन्य कमर्शियल गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। दूसरी श्रेणी में बिना भवन अनुज्ञा या स्वीकृत अनुमति के बनाए गए निर्माण शामिल होंगे। तीसरी श्रेणी में ऐसे भवनों की जांच होगी, जहां स्वीकृत नक्शे या अनुमत एफएआर से अधिक निर्माण किया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार नियम विरुद्ध निर्माण मिलने पर पहले नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद नियमों के अनुसार अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

सर्वे में तीन प्रमुख बिंदुओं पर विशेष नजर रहेगी

- ग्रीन बेल्ट और तालाब किनारे निर्माण।
- बिना अनुमति या नक्शे के विपरीत निर्माण।
- आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां।
- सड़कों को उनकी चौड़ाई के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटकर भी सर्वे की कार्रवाई की जाएगी।